

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 211/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. राकेश कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. दोलतराम पुत्र कृष्णराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. कमला पत्नि हेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. नीतु पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सुनिता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. माना देवी पत्नि पुराराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादीगण

श्री राकेशकुमार माहर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 27-06-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादीगण को चक 3 एसपीएमए के खाता नम्बर 146/116 प.नं. 218/419 (12) किला नम्बर 22/1 की 0.152 है0 कमाण्ड भूमि के,
2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 को चक 3 एसपीएमए पं0 नं0 218/419 (12) किला नम्बर 23 की 0.253 है0 कमाण्ड पं0 नं0 218/420 (23) किला नम्बर 1/2,8,9,10/1,11/1,20/3 की 1.393 है0 कमाण्ड 01.646 है0 कमाण्ड कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27-06-2024
..... को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

